



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ 4( )आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2024/

दिनांक:

## आदेश

स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही संबंधी निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 के नीति बिन्दु 31.2.2 को स्थगित करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं:-

प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात 5 वर्ष में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर छठे वर्ष में रुपये 2.5 लाख की शास्ति, सातवें वर्ष में रुपये 3.00 लाख की शास्ति, आठवें वर्ष में रुपये 3.50 लाख की शास्ति, नवें वर्ष में रुपये 4.00 लाख की शास्ति व दसवें वर्ष में रुपये 4.50 लाख की शास्ति..... इसी अनुसार प्रति संचालन सत्र 50,000 रुपये की अभिवृद्धि करते हुए संबंधित संचालन सत्र की शास्ति की गणना सत्र 2023-24 एवं 2024-25 तक की जायेगी। शास्ति जमा करवाने पर ही महाविद्यालय को संबंधित एक सत्र हेतु टी.एन.ओ.सी. अभिवृद्धि जारी की जायेगी।

तत्पश्चात् सत्र 2025-26 में संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मापदण्डों की पूर्ति के अभाव में क्रमिक निरस्त कर दिया जायेगा।

**सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान ।
6. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
7. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref  
9235624



**Signature valid**

Digitally signed by Pankaj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.25 17:28:08 IST  
Reason: Approved